प्रेस नोट *04/03/2025*

पति के प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर महिला द्वारा आत्महत्या करने मामले में एक अभियुक्त (पति) गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.03.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बढ़ुआगोदाम तिराहे के पास से मु0अ0सं0 29/25 धारा 498ए, 306 भादवि से संबंधित अभियुक्त (पति) बृजेश यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासी लोहाटिकर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 29/25 धारा 498ए, 306 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. बृजेश यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासी लोहाटिकर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. निरीक्षक घनश्याम यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. का0 धर्मेन्द्र तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.03.2025 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर बस स्टेशन मऊ के पास मु0अ0सं0 27/25 धारा 2(b)(i) व 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त बबलू मंसूरी उर्फ बबलू पुत्र लुकमान मंसूरी उर्फ लुकमान निवासी बाबरपुर इस्लाम नगर थाना अजीतमल जनपद औरैया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. बबलू मंसूरी उर्फ बबलू पुत्र लुकमान मंसूरी उर्फ लुकमान साकिन बाबरपुर इस्लाम नगर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह, कां0 विकाश सिंह, चालक हे0कां0 नागेन्द्र सिंह थाना रानीपुर जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 01/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना रानीपुर जनपद मऊ।

2. मु0अ0सं0 27/25 धारा 2(b)(i) व 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 25 वर्ष की कठोर कारावास व ₹50,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 04-03-2025 को मु0अ0सं0 28/2022 धारा 363, 376, 506 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना रानीपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त कल्पनाथ उर्फ कल्पू पुत्र सूरत पासी निवासी खिरिया थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं ₹50,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनुराग तिवारी थाना रानीपुर का सराहनीय योगदान रहा।

02 वांछित तथा 03 वारण्टी गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.03.2025 जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर कलेक्ट्रेट के पास से मु0अ0सं0 46/25 धारा 3(5), 109(1), 352, 351(2) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त अनुराग कुमार पुत्र लल्लन प्रसाद निवासी बहरीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ, थाना मधुबन पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त बावला पुल के पास से मु0अ0सं0 54/25 धारा 376(3), 504, 506 भादवि व धारा 4(2)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त प्रदीप साहनी पुत्र हीरालाल साहनी निवासी विग्रहपुर दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ , थाना मधुबन पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गुड्डू पुत्र महातम निवासी दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त अखमल उर्फ गुड्डू पुत्र मुख्तार निवासी कुटुपुर केरमा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ तथा थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त राजन यादव पुत्र शिवपुजन यादव निवासी बढ़ुआगोदाम जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आबकारी अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹2000 के अर्थदंड से किया गया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम/एसडी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 04-03-2025 को मु0अ0सं0 340/2019 धारा

60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त अजीत राजभर पुत्र रामजी राजभर निवासी कुसहा रसीदपुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने की अवधि तक सजा एवं ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।